

तारीख हुयम

खेमसिंह जोधा बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी)

सू.अ.अपील संख्या 54/2024

07-06-24

अपीलार्थी खेमसिंह जोधा निवासी ग्राम पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05/03/2024 में पटवार मण्डल सतलाना एवं पटवार मण्डर सालावास के विभिन्न राजस्व गांवों की गिरदावरी की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रतियों से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को द्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के दगरणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)

जिला कलक्टर जोधपुर शाहीराव.  
जिला कलक्टर, जोधपुर